रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 151] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 28, 1980/श्रावण 6, 1902

No 151] NEW DELHI, MONDAY, JULY 28, 1980/SRAVANA 6, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० : 46–इटीसी(पी एन)/80

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1980

विषय 1-1-1981 से 31-12-1981 तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, नार्वे, फिनलैण्ड, आस्ट्रिया और कनाडा को खुले सामान्य लाइसेन्स-3 के अन्तर्गत सूत, ऊन और मनुष्य निर्मित धागों से तैयार की गयी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के निर्यात के लिए योजना ।

फा० सं० 2/54/80-ई-1 —यह योजना 1-1-1981 से 31-12-81 तक (i) संयुक्त राज्य अमरीका यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मन संघीय गणराज्य, इटली, बेनिलक्स, यू० के०, आयरिश गणराज्य और डेनमार्क), नार्वे, कनाडा का सूत, ऊन और मनुष्य निर्मित धागों (ii) फिनलैंड को सूत और मनुष्य निर्मित धागों और (iii) आस्ट्रिया को सूत की कुछ तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के निर्यात से संबंधित है ।

2 इस योजना के अन्तर्गत आने वाली वस्त्र उत्पादकों की श्रेणियों की सूची परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध है । जब तक अन्यथा रूप में निदेश नहीं दिए जाते हैं तब तक परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली (ए एच पी सी) कोटे का आबंटन करेगी और सलाई में बुने हुए ऊनी वस्त्रों को छोड़कर सभी पोशाकों और सलाई में बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी और सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए कोटे का आबंटन ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली (डब्ल्यू एंड डब्ल्यू, ई० पी० सी०) द्वारा किया जाएगा । लेकिन सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के संबंध में नीचे की कडिकाओं में यथा निहित आवश्यक प्रमाणन, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाएगा । सरकार को यह अधिकार होगा कि वह जब भी उचित समझे कोटे के आबंटन और प्रमाणन के लिए अभिकरण के संबंध में और किसी भी अभिकरण के किसी भी कार्य को हस्तान्तर करने के संबंध में परिवर्तन कर सकती है ।

3(i) पहले आए सो पहले पाए के आधार पर संविदा आरक्षण और पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के कोटे के आबंटन के प्रयोजनार्थ कोटा वर्ष 1981 को तीन अवधियों अर्थात (i) जनवरी से अप्रैल (ii) मई से अगस्त और (iii) सितम्बर से दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा । 50% वार्षिक कोटा प्रथम अवधि अर्थात् जनवरी से अप्रैल और 35% का कोटा द्वितीय अवधि अर्थात मई से अगस्त और 15% का कोटा तृतीय अधिक अर्थात सितम्बर से दिसम्बर के लिए आबंटित किया जाएगा ।

(ii) सलाई से बुने हुए वस्त्रों (होजरी मदों) के संबंध में जिनकी किस्में वस्त्र आयुक्त, बंबई द्वारा निश्चित की जाती हैं, कोटे के वर्ष की गणना दो अवधियों में की जाएगी । प्रथम जनवरी से अगस्त और द्वितीय सितम्बर से दिसम्बर । सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आबंटन योग्य 85% कोटा जनवरी से अगस्त अवधि के दौरान उपलब्ध होगा और 15% सितम्बर से दिसम्बर के दौरान ।

(iii) प्रवृत्ति तथा मांग को देखते हुए समय-समय पर सरकार द्वारा उपर्युक्त प्रतिशत का पुनः संमजन किया जा सकता है ।

(iv) वर्ष के उपर्युक्त विभाजन तथा आबंटन के प्रतिशत कंडिका 4 तथा 5 में यथा समेकित कोटे के भूतकालीन निष्पादन के संबंध में आशोधन के अधीन होंगे ।

4(i) वार्षिक कोटे का आबंटन निम्नलिखित अनुसार किया जाएगा :—

(i)	भूतकालीन निष्पादन के आधार पर	40%
(ii)	पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदा आरक्षण	35%
(iii)	पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल (छोटे आदेशों के लिए)	20%
(iv)	केन्द्रीय/राज्य सरकार निगम	5%
(v)	विनिर्माता-निर्यातक	भूतकालिन निष्पादन कोटे का 20%

(ii) पहले आए सो पहले पाए के आधार पर तैयार माल के अधीन कोटे का आबंटन केवल छोटे आदेशों के मामले में ही किया जाएगा । इस पद्धति के अधीन कोटे के प्रयोजन के लिए छोटे आदेश वे है जहां पोशाक कोटा मदों के लिए आदेश, वस्त्र आयुक्त द्वारा विशिष्टिकृत किए जाने वाले विभिन्न वेश श्रेणियों की मात्रा से अधिक नहीं होते है ।

(iii) सरकार को द्विपक्षीय समझौते के अधीन व्यवस्थित उपयुक्त विधिनुसार यह अधिकार होगा कि इस में ढीलता प्रदान कर सके ।

5(i) भूतकालीन निष्पादन के आधार पर कोटे के आबंटन के मामले में प्रत्येक संयुक्त देश श्रेणी के लिए कोटे की हकदारी की गणना 1977, 1978 और 1979 वर्षों के लिए औसत निर्यातों के आधार पर की जाएगी यदि एक निर्यातक ऐसा करना चाहता है तो वह 1980 के प्रथम 6 मास के दौरान गणना करने के प्रयोजन के लिए अपने निर्यात का और इस प्रयोजन के लिए ऐसे निर्यातों को पूरे वर्ष के निर्यात समझते हुए शामिल कर सकेगा । उनके मामले में 1977, 1978 और 1979 के निर्यात और इसके साथ साथ 1980 के प्रथम 6 मास के निर्यातों को इकट्ठा कर लिया जाएगा और उन्हें चार से भाग किया जाएगा । एक निर्यातक की वार्षिक हकदारी की गणना उपर्युक्त उल्लिखित अनुसार की जाएगी और निर्यातकों के बीच भूतकालीन निष्पादन के आधार पर उपलब्ध कोटा, अनुपात के आधार पर अर्थात उनके भूतकालीन निष्पादन के अनुपात में वितरित किया जाएगा । भूतकालीन निष्पादन कोटे के निरर्धाण से संबद्ध कार्य, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात द्वारा किया जाएगा और आबंटन के प्रयोजनार्थ हकदारियां उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचित कर दी जाएंगी । व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में अनुरूपी परिवर्तन के मामले में अनुपात परिकलन के संपूर्ण कार्य को पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है अपितु सम्बद्ध निर्यातक की हकदारी में उपयुक्त संमजन किया जाएगा । इस विषय पर एक सार्वजनिक सूचना अलग से जारी की जाएगी ।

(ii) इस पद्धति के अधीन कोटा इस शर्त के अधीन अन्य पंजीकृत निर्यातक को हस्तांतरित किया जाएगा कि निष्पादन के प्रयोजनार्थ इसे हस्तांतरी के निर्यातों के रूप में गिना जाए। दूसरे शब्दों में यदि एक निर्यातक भूतकालीन निष्पादन के आधार पर आबंटन प्राप्त करता है और यह अनुभव करता है कि वह निर्यात करने की स्थिति में नहीं है तो वह उस कोटे को अन्य पंजीकृत निर्यातक को हस्तांतरित कर सकता है । हस्तांतरी के पास आ जाने के बाद कोटा उन्हीं शर्तों के अधीन होगा जिन शर्तों के अधीन वह हस्तांतरक के पास में था ।

(iii) आबंटित कोटे का उपयोग करने में निर्यातक को यह छूट होगी कि वह वर्गीकरण जैसे कि बच्चों की पोशाकों को ध्यान में रखे बिना ही अपनी संपूर्ण मात्रा का उपयोग कर सकता है । वह हथकरघा के निर्यात के लिए अपने संपूर्ण कोटे का उपयोग कर सकता है और उसे यह छूट होगी कि वह हथकरघे के कोटे के उस भाग को अभ्यर्पित कर सके जिसे वह निर्यात करने में असमर्थ हो । किन्तु सभी अभ्यर्पण 31-5-1981 तक किए जा सकेंगे ।

6. सलाई से बुने हुए वस्त्रों (होजरी मदों) के लिए संबद्ध श्रेणियों में 10% कोटा आरक्षित होगा । बच्चों की पोशाकों के लिए अन्तिम तिथि को सभी श्रेणियों के लिए 10% कोटा आरक्षित होगा ।

7. उन मामलों में जहां हथकरघा और मिल निर्मित मदों को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है वहां संयुक्त राज्य अमरीका के मामले में अन्य के लिए हथकरघा का अनुपात 2:1 होगा जबकि अन्य देशों के मामले में यह 1:1 होगा । यदि कोई निर्यातक हथकरघा के संपूर्ण कोटे का उपयोग करना चाहता है तो वह ऐसा कर सकता है । मांग प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन अनुपातों में परिवर्तन कर सकती है ।

8. प्रत्येक श्रेणी के पोशाकों के लिए केवल एक ही न्यूनतम मूल्य होगा । बच्चों की पोशाकों के लिए कोई पृथक न्यूनतम मूल्य नहीं होगा । वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा और संबंधित पार्टियों को सूचित करेगा । न्यूनतम मूल्य निर्धारित करते समय सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान दिया जाएगा जिसमें यह भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक मद को धीमी रफ्तार वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं ।

9. पहले आए सो पहले पाए संविदा अनुरक्षण और पहले आए सो पहले पाए तैयार माल (छोटे आदेशों के लिए) के मामले में प्रस्तावों में से चयन अन्तिम तिथि पर अवश्य किए जाने चाहिए । इस उद्देश्य के लिए एकक मूल्य के आधार पर चुनाव किया जाएगा इस प्रकार की सम्भाव्य स्थिति में उच्च एकक मूल्य मापदंड होगा ।

10(1) सभी पोशाकों और बुने हुए सूती, ऊनी और मानव निर्मित पोशाकों के लिए कोटा आबंटन साखपत्र शर्तों के आधार पर किया जाएगा । साख-पत्र क्रियाशील, वैध और अपरिवर्तनीय होना चाहिए । पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण और तैयार माल (छोटे आदेशों के लिए) के मामले में साख-पत्र आवेदनपत्र के साथ भेजा जाना चाहिए । पूर्वकालीन निष्पादन कोटा के मामले में साखपत्र 30-4-1981 को समाप्त होने वाले प्रथम तिमाही के दौरान ठीक पोतलदान के पहले खोली गई होगी । इस तिथि के पश्चात पोतलदान के लिए मई से अगस्त तक अथवा सितम्बर से दिसम्बर तक की संपूर्ण अवधि के लिए संबंधित अवधि के प्रारम्भ होने से पहले साखपत्र के लिए 15 दिन की रियायत दी जा सकती है ।

(ii) आवेदक द्वारा आबंटन के मूल्य के 10% मूल्य के लिए निष्पादन बांड पहले आए सो पहले पाए की पक्की संविदा के आधार पर कोटा आबंटन के लिए आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए । पहले आए सो पहले पाए तैयार माल (छोटे आदेशों के लिए) के मामले में, जहाज पर नि.शुल्क मूल्य के 10% की दर से अग्रिम धनराशि आवेदक द्वारा कोटा पृष्ठांकन के समय जमा किया जाएगा, पोतलदान ऐसे पृष्ठांकन की तिथि से 10 दिनों के भीतर किया जाएगा । धीमी गति वाली मदों के मामले में बैंक गारन्टी की कोई आवश्यकता नहीं होगी ।

(iii) पूर्वकालीन निष्पादन कोटा के मामले में निर्यातक प्रथम अवधि अर्थात 1-1-1981 से 30-4-80 के दौरान वास्तव में पोतलदान की गई मात्रा के लिए बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी । 31-5-1981 तक वह उसको अभ्यर्पण आंशिक रूप में या पूर्ण रूप में कर सकता है । रोक रखी गई मात्रा के लिए उसको जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 10% की दर से बैंक गारन्टी प्रस्तुत करना होगी ।

(iv) निर्यातक जो भूतकालीन निष्पादन के अधीन एक विशेष अवधि में या पूरे वर्ष के भीतर पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण या पहले आए सो पहले पाए तैयार माल (छोटे आदेशों के लिए) के अंतर्गत

उसके लिए आबंटित कोटे के 90% से कम का निर्यात नहीं करता है तो उसको बंध का भुगतान नहीं करना पड़ेगा । जो निर्यातक 75% से कम का निष्पादन करता है तो उसे उपयुक्त बंध देना पड़ेगा । यदि आबंटित कोटे का उपयोग 75% से कम होता है तो निर्यातक के निष्पादन बाण्ड और सम्पूर्ण जमा की गई अग्रिम धनराशि को जब्त कर लिया जाएगा । जहां कहीं भी बाध्यकारी शर्तें उत्पन्न होती हों, यह उनके अधीन है ।

(v) उन मामलों में जहां पर वैध अवधि के भीतर आबंटित कोटे का उपयोग 75% से कम नहीं है तो निर्यातक को कोटा वर्ष के भीतर दूसरे आबंटन की अवधि वृद्धि की मांग करने के लिए विकल्प दिया जा सकता है । ऐसे मामलों में निर्यातक को शेष मात्रा के जहाज पर निःशुल्क मूल्य के 20% तक के लिए बैंक गारन्टी के साथ एक बाण्ड देना पड़ेगा । पूर्ण रूप से निर्यात करने में असफल होने के मामले में बाण्ड और बैंक गारन्टी को जब्त कर लिया जाएगा ।

11(1) वर्तमान पूर्व वर्ष (पंजीग वर्ष 1980) के दौरान अनुसरण किए गए अभ्यास के साथ-साथ मन्द गति वाली मदों के मामले में बैंक गारन्टीयां और निक्षेप अलग कर दिए जाएंगे, ये मदें वस्त्र आयुक्त द्वारा इसी उद्देश्य के लिए विशेष रूप से चिन्हित की जाएंगी । चिन्हित मन्द गति वाली मदों के लिए केवल एक नाम मात्र निक्षेप जो वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जाएगा, आवश्यक होगा । इसके अतिरिक्त यदि कोई पहले आए सो पहले पाए संविदा आरक्षण के आधार पर या पहले आए सो पहले पाए तैयार माल (लघु आदेशों के लिए) के आधार पर आबंटन के लिए आए तो उसे उपलब्धता की शर्त के अधीन आबंटन किया जाएगा । यदि किसी मामले में कोई निर्यातक किसी मात्रा के लिए आरक्षण चाहता है तो अपरिवर्तनीय साखपत्र द्वारा समर्थित पक्की संविदा प्रस्तुत करने पर उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी । पोतलदान की अवधि के सम्बन्ध में प्रतिबन्ध मंद गति वाली मदों के सम्बन्ध में इस प्रकार लागू नहीं होगा ।

(2) मन्द गति वाली मदों की पहचान के लिए 1980 के प्रथम चार महीनों का और 1979 का निष्पादन हिसाब में लिया जाएगा । यदि संदर्भ के अन्तर्गत अवधि के दौरान किसी मद का निर्यात 1980 की प्रथम अवधि के लिए या पूर्ण 1979 वर्ष के दौरान निर्धारित कोटे के 60% से अधिक नहीं हुआ है तो वह मद मन्दगति वाली समझी जाएगी । यदि 1980 की प्रथम अवधि के दौरान किसी मद के संचालन में सुधार दिखाई पड़ा हो तो वह तीव्र गति वाली समझी जाएगी । लेकिन सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि मांग की प्रवृत्ति के अनुसार ऐसा न्याय संगत हुआ तो सरकार कोटा वर्ष के दौरान कसौटी में परिवर्तन करेगी ।

12. केन्द्रीय या राज्य सरकारों के नियंत्रण के अन्तर्गत निगमों के लिए वार्षिक स्तर के अधिकतम 5% का विशेष निर्धारण होगा । लेकिन निर्धारण इन निगमों के केवल सीधे निर्यातों के लिए किया जाएगा । गारन्टीयां, साखपत्र और अन्य दण्डनीय उपबन्ध उसी तरीके से लागू होंगे जैसे कि अन्य प्राइवेट निर्यातकों के मामले में/यह योजना (केन्द्रीय/राज्य निगमों के लिए निर्धारण की) वस्त्र आयुक्त, बम्बई द्वारा शासित की जाएगी ।

13. विनिर्माता-निर्यातकों के मामले में इस उद्देश्य के लिए अधिकतम प्रोत्साहन देने की नीति को ध्यान में रखते हुए उनकी भूतकालीन निष्पादन की हकदारी से अधिक 20% अतिरिक्त कोटा आबंटित किया जाएगा ।

14. जब तक इसके विपरीत उल्लेख न किया जाए वस्त्र आयुक्त बम्बई कोटा निर्धारण से सम्बन्धित मामलों पर दिन-प्रति दिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा । एक समन्वय समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे और विभिन्न सम्बद्ध परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, कम से कम महीने में एक बार स्थिति की पुनरीक्षा करेगी । विचारों में विभिन्नता होने पर मामला वस्त्र आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा ।

15. सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि वह पूर्व सूचना दिए बिना ही इन कोटा वितरण मार्ग दर्शन के प्रावधानों में कोई भी संशोधन कर सके ।

16. पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नामित किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए मूल पोत परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर कोटा पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी । लेकिन संयुक्त राज्य अमरीका के सम्बन्ध में पोतलदान की अनुमति देने से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारी इसके प्रतिनिधियों सहित सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किसी प्राधिकृत निकाय द्वारा जारी किए गए विशेष सीमा शुल्क बीजक पर वीसा पृष्ठांकन भी सत्यापित करेंगे । यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों और कनाडा को निर्यात के सम्बन्ध में कोटा पृष्ठांकन के साथ सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद या इस सम्बन्ध में विधिवत प्राधिकृत कोई अन्य निकाय निर्यात प्रमाणपत्र और व्यक्तिगत श्रेणी सीमाएं रखने वाली श्रेणियों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र जारी करेंगे और गन्तव्य स्थान पर निकासी प्राप्त करने के लिए ये प्रमाणपत्र आयातकों को भेजने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी सीमाएं न रखने वाली अन्य श्रेणियों के सम्बन्ध में उद्गम प्रमाणपत्र जारी करेंगे ।

17. जहां तक संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और कनाडा को हथकर्घा के वस्त्रों, हथकर्घा से बनी तैयार वस्तुओं और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सम्बन्ध में 7, 8, 26 और 27 श्रेणियों से भिन्न श्रेणियों और कनाडा के सम्बन्ध में 1, 2, 3 और 4 मदों के निर्यात का सम्बन्ध है इनके निर्यात की अनुमति निर्यात संवर्धन परिषद या अन्य सम्बद्ध प्राधिकृत निकायों द्वारा कोटा पृष्ठांकन की आवश्यकता के बिना वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणन करने के आधार पर सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा दी जाएगी । संयुक्त राज्य अमरीका को निर्यातों के लिए श्रेणी 336, 340, 341, 347 और 348 के अन्तर्गत आने वाली हथकरघा की पोशाकों के मामले में वस्त्र समिति द्वारा प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए मनोनीत किसी अन्य प्राधिकृत निकाय द्वारा कोटा आबंटन के आधार पर जारी किया जाएगा ।

18. "भारत मद" जो विशेष रूप से भारतीय परम्परागत लोक साहित्य वस्त्र उत्पाद हैं, के सम्बन्ध में संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलदानों की अनुमति अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड या वस्त्र समिति द्वारा जारी किए गए उपयुक्त प्रमाण पत्रों के आधार पर दी जाएगी । "भारत मदों" के रूप में विनिर्दिष्कृत की गई मदों के लिए सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोत परिवहन बिलों पर पृष्ठांकन के लिए सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा या किसी अन्य विधिवत प्राधिकृत निकाय द्वारा कोई भी कोटा पृष्ठांकन कराने की आवश्यकता नहीं होगी ।

19. जहां पर प्रेक्षण पोतलदान के लिए तैयार है तो कोटा पृष्ठांकन प्राप्त करने के लिए और आवश्यक निर्यात प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्यातक को कोटा प्रमाण-पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेजों (दो प्रतियों में पोतलदान के साथ) और पोतलदान के अधीन पड़े माल के ब्यौरों को शामिल करते हुए 2 प्रतियों में प्रपत्र आवेदन पत्र इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट निर्यात संवर्धन परिषद को या इसके क्षेत्रीय पत्तन के प्रतिनिधियों को प्रस्तुत करेगा । उसके पश्चात पोत परिवहन बिलों और अन्य औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए दस्तावेज सीमाशुल्क प्राधिकारियों को प्रस्तुत किए जाएंगे । तैयार पोशाकों के मामले में पोत परिवहन दस्तावेज भी इस उद्देश्य के लिए मनोनीत निर्यात संवर्धन परिषद को या इसके क्षेत्रीय प्रतिनिधियों को इससे पहले प्रस्तुत करने होंगे कि वे पोतलदान के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा नोट न किए गए हो इन सब मामलों में पोतवणिकों को पोत परिवहन बिल सीमाशुल्क प्राधिकारियों से प्राप्त करने के बाद पोत परिवहन बिल की संख्या और दिनांक उस सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषद या उसके क्षेत्रीय पत्तन प्रतिनिधि को सूचित करनी होगी जिससे कोटा पृष्ठांकन प्राप्त किया गया है ।

20. निर्यात प्रमाणपत्र क्रेता के लिए है और इसलिए यह परिषद से प्राप्त हो जाने के बाद पोत वणिकों द्वारा अन्य संबंधित प्रलेखों के साथ उसके क्रेता को भेज दिया जाना है ।

21. निर्यात की अनुमति भारत के किसी भी पत्तन से दी जाएगी ।

22. निर्यात संवर्धन परिषद के पते इस प्रकार हैं :—

(1) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद, इंजीनियरिंग सेंटर, 9 मैथ्यू रोड, 5वीं मंजिल, बम्बई-400004.

(2) परिधान निर्यात संवर्धन परिषद, सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल 58, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019.

(3) ऊन तथा ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद, 714, अशोक इस्टेट, 24, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001.

23. वे व्यक्ति जिन्हें उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अनुसार कोटे की अनुमति दी जाती है किन्तु वे उसका पूरा-पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं तो इस सम्बन्ध में जो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उसे और आगे कोटा देने से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा ।

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियन्त्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE
EXPORT TRADE CONTROL

Public Notice No. 46-ETC(PN)/80

New Delhi, the 28th July, 1980

Sub : Scheme for exports under OGL. 3 of Garments and Knitwears made from Cotton, Wool and man-made fibres to USA, EEC Member-States, Norway, Finland, Austria and Canada from 1-1-1981 to 31-12-1981.

F. No. 2/54/80-EI.—This scheme relates to the export of certain ready-made garments and knitwear items of (i) cotton, wool and man-made fibres to U.S.A., EEC Member-States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, United Kingdom, Irish Republic and Denmark), Norway Canada (ii) cotton and man-made fibres to Finland and (iii) cotton to Austria for the period 1-1-1981 to 31-12-1981.

2. The list of categories of textile products covered under the scheme are available with the Apparels Export Promotion Council and the Wool and Woollens Export Promotion Council. Unless otherwise directed, the Apparels Export Promotion Council, New Delhi (AEPC) will allocate quotas and do necessary certification for all garments and knitwear excluding woollen knitwear and quota allocation for woollen knitwear will be done by the wool & woollen EPC, New Delhi (W&WEPC). However, in respect of woollen knitwears necessary certification as outlined in the following paragraphs will be done by the Apparels Export Promotion Council. The Government reserves the right to make changes as considered appropriate with regard to the agencies for quota allocation and certification and with regard to transfer of any part of the work to any other agency.

3. (i) For the purpose of quota allocation in FCFS Contract Reservation and FCFS ready goods for small orders, the quota year, 1981 will be divided into three periods, viz. (i) January to April, (ii) May to August, and (iii) September to December. 50 per cent of the annual quota will be allocated for the first period from January to April, 35 per cent for the second period, May to August and 15 per cent for the third period, September to December.

(ii) In the case of knitwears (Hosiery items) to be specified by Textile Commissioner, Bombay, the quota year shall be reckoned in two spells, the first from January to August and the second from September to December. 85 per cent of the quota allocable for knitwear shall be made available for shipment during the period January to August and 15 per cent during September, to December.

(iii) The above percentages may be readjusted from time to time by Government depending upon trends of demand.

(iv) The above divisions of the year and the percentages of allocations will be subject to modifications in regard to Past Performance quota as indicated in paragraphs 4 & 5.

4. (i) The annual quotas will be allotted in the following manner :

(i) Past Performance Basis	40 per cent.
(ii) FCFS Firm Contract Reservation	35 per cent.
(iii) FCFS Ready goods (for small orders)	20 per cent.
(iv) Central/State Govt. Corporations	5 per cent.
(v) Manufacturers-Exporters	20 per cent. of past performance quota.

(ii) Allocation of quotas under FCFS Ready goods shall be made only in the case of small orders. For the purpose of allocation under this system, small orders are those where the orders for garment quota items do not exceed quantities in different country-categories to be specified by the Textile Commissioner.

(iii) Government reserves the right to use flexibility provided under the various bilateral agreements in a suitable manner.

5. (i) In the case of allotment of quotas on the basis of past performance, the quota entitlement will be determined for each country-category combination on the basis of average exports for the years 1977, 1978 and 1979. If an exporter so wishes, he could include for purposes of computation his exports during the first six months of 1980, treating such exports as a full year's exports for this purpose. In their cases, the exports for 1977, 1978 and 1979 alongwith the exports of the first six months of 1980 would be taken together and divided by four. The annual entitlement of an exporter will be determined in the manner indicated above and the quota available for past-performance will be distributed among the exporters pro-rata, i.e. in the ratio of their past-performance. The work relating to the determination of past-performance quota will be carried out by the office of CCI&E and the entitlements communicated to the appropriate authorities for the purpose of allotment. In case of any subsequent change in the entitlement of an individual exporter, the entire exercise of pro-rata calculation need not be reopened but suitable adjustment would be made in the entitlement of the exporter concerned. A separate Public Notice will be issued on the subject.

(ii) The quota under this system will be transferable to another registered exporter with the stipulation that for the purpose of performance it may be counted as the exports of the transferee. In other words, if an exporter, on the basis of past performance gets an allotment and finds that he is not in a position to export, he can transfer this quota to another registered exporter. The transferred quota will get added on to the transferee and will be counted against his performance for that year. The quota in the hands of the transferee will be subject to the same terms and conditions as those applicable to it in the hands of the transferor.

(iii) In the utilisation of quota allotted to him, an exporter will have the choice to utilise his entire quantity without regard to categorisations such as children's garments. He may utilise his entire quota for export of handlooms and will also have the choice to surrender that portion of handloom quota, which he may not be able to export. But all surrenders shall have to be made before 31-5-1981.

6. For knitwear (hosiery items), there shall be a reservation of 10 per cent of the quota in relevant categories. For children's garments reservation on the terminal date will be 10 per cent in all categories.

7. In the cases, where handloom and mill made items are clubbed together, the ratio of handlooms to others will be 2 :1 in the case of U.S.A. whereas it will be 1 : 1 in case of other countries. An exporter may be allowed to utilise his entire quota on handlooms if he so desires. Government reserves the right to make changes in these ratios depending upon the demand trends.

8. There shall be only one floor-price for each category of garments. There shall be no separate floor price for children's garments. The Textile Commissioner, will prescribe the floor prices and communicate them to the parties concerned. In determining the floor prices regard will be paid to all relevant factors including the fact whether a particular garment item has been identified as a slow moving one or not.

9. In the case of FCFS contract reservation and FCFS ready-goods (for small orders) a choice among offers may have to be made on the terminal date. For this purpose selection will be made on the basis of unit price, higher unit price being the criterion in such eventuality.

10(i) The quota allocation for all garments and knitwears cotton, woollen and man-made will be made on L/C terms. L/Cs should be operative, valid and irrevocable. In the case of FCFS contract reservation and ready-goods (for small orders) L/Cs should be submitted alongwith the application. In the case of past performance quota, L/Cs would have to be opened just before shipment during the first quarter ending 30-4-1981. For shipments after this date, L.C. for the entire periods May to August or Sept. to December should be given 15 days prior to the commencement of the relevant period.

(ii) Performance Bond for a value of 10 per cent of the value of quota allotment will have to be submitted by the applicant alongwith the application for quota allotment on FCFS firm contract basis. In the case of FCFS ready goods (for small orders) earnest money at the rate of 10 per cent of the f.o.b. value, will have to be deposited by the applicant at the time of quota endorsement, shipment to be effected within 10 days from the date of such endorsement. In the case of slow moving items no bank guarantees will be necessary.

(iii) In the case of Past Performance quota an exporter need not furnish Bank Guarantee for quantity actually shipped during the first period i.e. 1-1-1981 to 30-4-1981. He can surrender thereafter in past or full by 30-5-1981. For the quantity retained he will have to furnish bank guarantee at the rate of 10 per cent of f.o.b. value.

(iv) An exporter, who exports not less than 90 per cent of the quota allotted to him, under FCFS contract reservation or FCFS ready-goods (for small orders), in a particular period, or within the whole year, under past-performance will not be liable for payment of penalty. An exporter who performs not less than 75 per cent will have to pay proportionate penalty. If the utilisation of quota allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable for forfeiture of his performance bond/earnest money deposit in full. This will be subject to conditions of force majeure, wherever they arise.

(v) In cases where the utilisation of quota allocation is not less than 75 per cent within the validity period, the exporter may be given the option to seek extension for the next allotment period within the quota year. In such cases, the exporter will have to execute a bond, supported by a Bank Guarantee, to the extent of 20 per cent of the f.o.b. value of the balance quantity. In case of his failure to export fully, the Bond and the Bank Guarantee will be liable to the forfeited in full.

11. (i) In line with the practice followed during the current ante-year (Calendar year 1980) Bank Guarantees and deposits will be dispensed within the case of the slow-moving items, specially identified for that purpose by the Textile Commissioner. For the identified slow-moving items, a nominal deposit, as prescribed by the Textile Commissioner, would only be required. Besides anybody who comes for allocation either on FCFS contract reservation basis or FCFS ready goods (for small orders) basis will get the allocation subject to availability. If in any case, an exporter wants to reserve any quantity, he will be permitted to do so on production of a firm contract, supported by irrevocable L/C. Restriction regarding shipment period will not apply in respect of slow moving items as such.

(ii) For identification of slow moving items performance during the first 4 months of 1980 and performance during 1979 will be taken into account. An item could be termed slow-moving if during the period under reference its exports have not exceeded 60 per cent of the quota earmarked for the first period of 1980 or during the entire year 1979. If the movement of an item has shown improvement during the 1st period of 1980, it will be deemed to be fast moving. Government, however reserves the right to change the criteria during the course of the quota year if warranted by the demand trend.

12. For corporations under the control of State or Central Governments there will be a special allocation not exceeding 5 per cent of the annual level. The allocation will, however, be made only for direct exports of these corporations. Guarantee L/C and other penal provisions will be applicable in the same manner as in the case of other private exporters. This scheme (of allocation to Central/State Corporations) will be administered by the Textile Commissioner, Bombay.

13. In case of manufacturer-exporters, an additional quota of 20 per cent over and above the past performance entitlement would be allotted in keeping with the policy of providing maximum encouragement for this purpose.

14. Unless, specified to the contrary, the Textile Commissioner, Bombay, will continue to have day-to-day supervision over the matters relating to quota allocation. A Co-ordination Committee, with the Textile Commissioner as Chairman, and representatives of various Councils concerned will review the situation at least once a month. In case of difference of opinion, the matter will be decided by the Textile Commissioner.

15. Government reserves the right to make amendment in any of the provisions of these quota distribution guidelines without giving prior information.

16. Shipment will be allowed by the Customs authorities at the ports of shipment on the basis of quota endorsement on the original and duplicate of the shipping bills for individual consignments issued by the Export Promotion Council or any other appropriate body designated for this purpose. In respect of USA, however, before allowing shipments, the Customs authorities would also verify the visa endorsement on the special customs invoice No. 5515 issued by the Export Promotion Council concerned or any authorised body prescribed for this purpose, including their representatives. In respect of exports to EEC Member States and Canada alongwith the quota endorsement, the Export Promotion Council concerned or, any other body, duly authorised in this behalf will issue export certificate and certificate of origin for categories having individual category limts, and certificate of origin in respect of other categories not having individual category limits for forwarding these certificates to importers for obtaining clearance at the destination.

17. In so far as exports to USA, EEC and Canada of handloom fabrics, made-up articles made from handloom fabrics and woven garments made from handloom fabrics falling under categories other than categories 7, 8, 26 and 27 in respect of EEC and items 1, 2, 3 and 4 in respect of Canada, shipments will be permitted by the Customs on the basis of the certification by the Textile Committee without the requirements of quota endorsement by the Export Promotion Council or other authorised bodies concerned. In the case of handloom garments falling under categories 336, 340, 341, 347 and 348 for exports to USA, certification by the Textiles Committee will be issued on the basis of the quota allotment by the Apparels Export Promotion Council or any other authorised body designated for this purpose.

18. In respect of 'India Items' which are typically Indian traditional folklore textile products, shipments will be permitted by the Customs for exports to USA, EEC and Canada on the basis of appropriate certificates issued by the All India Handicrafts Board or the Textile Committee. For items specified as 'India Items' no quota endorsement by the Export Promotion Council concerned or by any other duly authorised body will be required, for endorsement of the shipping bills by the Customs authorities.

19. Whenever the consignment is ready for shipment, the exporter shall submit the necessary shipping documents (including shipping bills in duplicate) and proforma application in duplicate covering the details of goods under shipment to the Export Promotion Council designated for this purpose or to its up-country port representatives alongwith quota certificate, for obtaining quota endorsement and for issuing the necessary export certificate. Thereafter the documents shall be submitted to the Customs for completion of the shipping bills and other formalities. In the case of ready-made garments the shipping documents including shipping bills will also be submitted to the Export Promotion Council designated for this purpose or its up-country port representatives for quota endorsement before the shipping bills are noted by the Customs at the port of shipment. In all these cases the shippers will be required to inform the Export Promotion Council concerned or its up-country port representatives from whom the quota endorsement is obtained, the

number and the date of shipping bills after the same are collected from the Customs.

20. The Export Certificate is meant for the buyer and hence the same after obtaining from the Council has to be forwarded by the shipper to his buyer alongwith other relative documents.

21. Export will be allowed from any port in India.

22. The addresses of Export Promotion Councils are as follows :—

1. The Cotton Textiles Export Promotion Council, 'Engineering Centre', 9, Mathew Road, 5th Floor Bombay-400004.
2. Apparels Export Promotion Council, Sahayog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi-110019.
3. Wool and Woollens Export Promotion Council, 714, Ashoka Estates, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

23. Persons to whom quotas are allowed in accordance with the above arrangements but who do not utilise them fully would be liable to disqualification from getting future quotas without prejudices to any other action that may be taken in this behalf.

MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980